न्यायालय आरबीट्रेटर जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी शिवप्रसाद एम. नकाते (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 25/2020 फोरलेन

उनवान

1. श्री किशोर कुमार पिता बंशी लाल शर्मा निवासी शक्करगढ़, जहाजपुर तहसील जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा 2. श्री संजीव कुमार पिता बंशी लाल शर्मा निवासी शक्करगढ़ जहाजपुर तहसील जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा	**बनाम**	1. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर जिला भीलवाड़ा 2. परियोजना निदेशक (एन.एच.ए. आई.) कार्यान्वयन इकाई 6–ए–1,आर.सी.व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा
––प्रार्थीगण		**––विपक्षीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 विरूद्ध अवार्ड सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) जहाजपुर प्रकरण संख्या 96/148–डी/22/15 प्रतिकर निर्धा./दिनांक 14.12.2015

उपस्थित :– 1. श्री दिनेश सिसोदिया, अधिवक्ता : प्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से
2. श्री अभिनव जैन, अधिवक्ता : विपक्षी संख्या 2 की ओर से
3. विपक्षी संख्या 01 व 03 की ओर से विभागीय पेरोकार।

निर्णय

दिनांक : 12-10.2021

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 विरूद्ध सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर के प्रकरण संख्या 22/15 प्रतिकर निर्धा0 दिनांक 14.12.2015 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अधीनस्थ सक्षम प्राधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी जहाजपुर द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 14.12.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत कर यह उल्लेख किया कि प्रार्थीगण के स्वामित्व खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की आराजी संख्या 899/1, 900/1, एवं 900/2 वाके शक्करगढ़ तहसील जहाजपुर में अवस्थित चली आ रही है जिसमें से क्रमशः 0.228 गै.मु. आबादी, 0.154 गै.मु. आबादी एवं 0.031 नहरी हैक्टर राष्ट्रीय राजमार्ग 148 डी गुलाबपुरा उनियारा के निर्माण/चौड़ा करने हेतु अवाप्त की गयी। जिसके संबंध में विपक्षी संख्या 1 द्वारा जो अवार्ड दिनांक 14.12.2015 को पारित किया गया, वह विधि के तहत उचित नहीं है, क्योकि भारत सरकार द्वारा पारित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (The right to fair compensation and transparency in land acquisition rehabilitation and resettlement act 2013) जिसे आगे सुविधा की दृष्टि से Rfctlarr Act 2013 से सम्बोधित किया जायेगा, को दिनांक 01 जनवरी, 2015 से लागू किया गया है जिसके अनुसार अधिनियम की अनुसूची प्रथम, द्वितीय, तृतीय के अनुसार प्रार्थीगण भी मुआवजा राशि प्राप्त करने के

कलक्टर
(आरबीट्रेटर)
भीलवाड़ा

प्रार्थीगण कानूनन अधिकारी है। इस संबंध में विपक्षी संख्या 1 द्वारा सन 2018 में पुनः अन्तरित/संशोधित अवार्ड कुलिया 20 करोड़ 43 लाख 53 हजार 417 रूपये का पारित कर अनुमोदन हेतु विपक्षी संख्या 2 के यहां पत्र क्रमांक 606 दिनांक 26.06.2019 को प्रेषित किया गया जिसका जवाब दिनांक 22.07.2019 को विपक्षी संख्या 2 ने विपक्षी संख्या 1 को प्रेषित कर उल्लेख किया कि दिनांक 31.12.2014 तक अवाप्ति राशि का भुगतान हो जाने से प्रकरण हाजा पर Rfctlarr Act 2013 प्रभावी नहीं होता है। इस पर विपक्षी संख्या 1 द्वारा विस्तृत रूप से स्पष्टीकरण **पत्र क्रमांक 736 दिनांक 05.08.2019** विपक्षी संख्या 2 को प्रेषित कर उल्लेख किया कि जब पूर्व में पारित अवार्ड का अनुमोदन की सूचना ही विपक्षी संख्या 2 द्वारा पत्र क्रमांक 3488 दिनांक 08.05.2015 के माध्यम से प्राप्त हुयी तो फिर उससे पूर्व ही अवार्ड राशि का भुगतान किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है अर्थात कोई किसी प्रकार की अवार्ड राशि का भुगतान दिनांक 31.12.2014 से पूर्व नहीं किया गया है इस प्रकार मौजूदा प्रकरण पर नया Rfctlarr Act 2013 पूर्णतया प्रभावी होता है इस कारण प्रार्थीगण उक्त नये Rfctlarr Act 2013 के तहत अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी है।

प्रार्थीगण ने आगे अपने प्रार्थना पत्र में यह भी अंकित किया कि इसी गुलाबपुरा उनियारा राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा एवं तहसील व जिला बूंदी में अवस्थित भूमि को भी अवाप्त किया गया और उक्त अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा/अवार्ड Rfctlarr Act 2013 के तहत विपक्षी संख्या 02 द्वारा दिये गये है जिसके संदर्भ में विपक्षी संख्या 01 ने अपने **पत्र क्रमांक 846 दिनांक 01.10.2019** में भी उल्लेख करते हुये विपक्षी संख्या 02 को प्रेषित किया। इस प्रकार एक ही राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण हेतु अवाप्त की गयी भूमि के मुआवजे हेतु दो मापदण्ड विधि के तहत प्रयोग में नहीं लिये जा सकते है ऐसा करना संवैधानिक मूल अधिकारों के भी सर्वथा विपरीत है तथा जो निर्णय गोपाराम बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया निर्णय दिनांक 22.01.2018 प्रकरण हाजा पर कतई लागू नहीं होता है, क्योंकि निर्विवाद रूप से प्रकरण हाजा में कोई किसी प्रकार का भुगतान अवार्ड राशि का दिनांक 31.12.2014 से पूर्व नहीं हुआ है तो फिर प्रार्थीगण विधि के तहत Rfctlarr Act 2013 के तहत अवाप्तशुदा भूमि के एवज में मुआवजा/प्रतिकर राशि प्राप्त करने के कानूनन अधिकारी है।

प्रार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही अधिनियम की धारा 3–जी (1 व 2) के तहत कोई किसी प्रकार का आपत्ती आमंत्रित करने के संबंध में व्यक्तिगत नोटिस नहीं दिया गया तथा न कोई व्यक्तिगत तामील ही इस संबंध में प्रार्थीगण पर करायी ही गयी है तथा जो अवार्ड राशि 41 लाख 984 रूपये का जारी किया गया वह गलत तरीके से डी0एल0सी दर का निर्धारण कर जारी किया गया है इस कारण तथाकथित अवार्ड विधि एवं नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्तों के विपरीत होकर काबिल अपास्तगी के है। उक्त भूमि जो प्रस्तावित गुलाबपुरा उनियाना सेक्सन हेतु अर्थात राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148डी के निर्माण हेतु अधिग्रहित की गयी है उसमें से 0.382 हैक्टर गै.मु. आबादी की है जिसकी बाजार दर लगभग 2 करोड़ रूपये प्रति हैक्टर से अधिक की है तथा जो डीएलसी दर तथाकथित अवार्ड द्वारा उक्त भूमि की 96,84,000/–रूपये प्रति हैक्टर तय की गयी है वह सर्वथा गलत होकर बाजार दर से बहुत कम है इसी तरह नहरी भूमि की जो डी0एल0सी0 दर तथाकथित अवार्ड में तय की गयी है 9,31,587/–रूपये प्रति हैक्टर तय की गयी है वह भी बाजार दर जो की लगभग 20 लाख रूपये प्रति हैक्टर से अधिक की है।

कलक्टर
आर्बीट्रेटर)
भीलवाड़ा